संख्या—382/XXXVI(2)/24/07(बजट)/2020

प्रेषक,

प्रदीप पन्त,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महाधिवक्ता,
मा0 उच्च न्यायालय परिसर नैनीताल,
उत्तराखण्ड।

न्याय अनुभाग—2 देहरादून : दिनांक अप्रैल, 2025

विषयः—वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक में 'महाधिवक्ता' हेतु प्रावधानित धनराशि की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या—287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 31 मार्च, 2025 द्वारा प्रदत्त दिशा—निर्देशों के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक की मांगे स्वीकृत होने एवं तत्सम्बन्धी 'विनियोग अधिनियम, 2025' पारित होने के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक में 'महाधिवक्ता' हेतु विभिन्न मानक मदों में प्राविधानित धनराशि **कुल धनराशि रू0 22,81,60,000/— (रू0 बाईस करोड़ इक्यासी लाख साठ हजार मात्र)** की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को संलग्न अलॉटमेंट आई0डी0 के अनुसार व्यय हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

1. वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या—287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 31 मार्च, 2025 में निहित व्यवस्थानुसार मानक मद 01—वेतन, 03—महंगाई भत्ता, 06—अन्य भत्ते तथा 25—उपयोगिता बिलों का भुगतान में Global Budgeting की व्यवस्था लागू होने से उक्त मानक मदों में प्राविधानित धनराशि, विभागाध्यक्ष (HOD) के निवर्तन पर रखी जायेगी, परन्तु विभागाध्यक्ष द्वारा उक्त धनराशि आहरण—वितरण अधिकारियों को अवमुक्त नहीं की जायेगी। तद्नुसार आवश्यकता के आधार पर Global Budgeting की संबंधी मानक मदों 01—वेतन, 03—महंगाई भत्ता, 06—अन्य भत्ते तथा 25—उपयोगिता बिलों का भुगतान में प्राविधानित/उपलब्ध कुल रू0 9,75,50,000/— (रू0 नौ करोड़ पिचहत्तर लाख पचास हजार मात्र) धनराशि का आहरण वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु निर्धारित व्यवस्थानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।
2. कृपया वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गमन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या—287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 31 मार्च, 2025 (छायाप्रति संलग्न) में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट

करें।

3. मानक मद 42–अन्य विभागीय व्यय में स्वीकृत की जा रही धनराशि, नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किश्तों में आहरित एवं व्यय की जाय।
4. लघु निर्माण कार्य की सीमा तक के नये कार्यों हेतु विभागाध्यक्ष द्वारा लघु निर्माण कार्यों के औचित्य एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन अपने स्तर से नियमानुसार स्वीकृति प्रदान की जायेगी। इस सम्बन्ध में पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभागाध्यक्ष का होगा।
5. कृपया प्रत्येक माह के व्यय की सूचना व्यय विवरण प्रपत्र बी0एम0–8 पर अंकित कर प्रतिमाह विलम्बतम 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय और न हीं पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।
7. फर्नीचर, साज–सज्जा, उपकरण क्रय, विद्युत प्रभार, स्टेशनरी, कम्प्यूटर स्टेशनरी, पेट्रोल/डीजल, यात्रा, टेलीफोन आदि के व्यय पर विशेष रूप से मितव्ययता बरती जाय।
8. अवचनबद्ध मदों में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जायेगी और तद्नुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में न किया जाय।
10. व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियामवली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम, आय–व्यय सम्बन्धी नियम, बजट मैनुअल व सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
11. जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं और जिन मदों की दरें बाजार भाव से ली गई हों, के सम्बन्ध में न्यूनतम दरों के आधार पर आगणन तैयार कर कार्य कराया जाय।
12. कम्प्यूटर, हार्डवेयर, साफ्टवेयर व नेटवर्किंग उपकरणों के क्रय हेतु सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–285/पी.एस./2006, दिनांक 23.10.2006 एवं तत्क्रम में समय–समय पर निर्गत अन्य आदेशों में उल्लिखित व्यवस्थानुसार ही कार्यवाही की जाय।
13. कोषागारों को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्य किया जाय। बजट नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष द्वारा बी0एम0–10 प्रारूप में बजट नियंत्रण पंजिका (Budget Control Register) में उनके स्तर पर उपलब्ध बजट तथा उनके स्तर से अधीनस्थ अधिकारियों/आहरण–वितरण अधिकारियों को आवंटित बजट का विवरण रखा जाये।
14. जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं और जिन मदों की दरें बाजार भाव

से ली गई हों, के सम्बन्ध में न्यूनतम दरों के आधार पर आगणन तैयार कर कार्य कराया जाय।

2— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या—04, लेखाशीर्षक 2014—न्याय प्रशासन—114—विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)—03—महाधिवक्ता के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

3— यह आदेश वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने सम्बन्धी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या—287566/E-79713/09 (150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 31 मार्च, 2025 द्वारा प्रदत्त दिशा—निर्देशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय,

Signed by
Pradeep Pant
Date: 02-04-2025 14:54:45

(प्रदीप पन्त)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड़, देहरादून।
2. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल,उत्तराखण्ड।
5. वित्त अनुभाग—5, उत्तराखण्ड़ शासन।
6. निदेशक एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर , देहरादून।
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Signed by
Sudhir Kumar Singh
Date: 02-04-2025 14:57:15

(सुधीर कुमार सिंह)
अपर सचिव।